सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

**अपील संख्याः 45/12** **निर्णय दिनांकः—21.06.2018**

1. चम्पालाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. अन्नी पुत्री सोहनलाल पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर हाल सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

**—बनाम—**

1. शिवनाथराम पुत्र भैरा पुत्र सदु उर्फ सदा अकवाम माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर हाल नोखा मण्डी, बीकानेर।
2. कानाराम पुत्र श्री श्रीराम जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. रामेश्वर पुत्र श्रीराम जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. किसनलाल पुत्र श्रीराम जाति माली निवासी पुराना बस स्टेण्ड, नोखा रोड़, बीकानेर।
5. श्रीमती संतोष पत्नी किसनलाल जाति माली निवासी पुराना बस स्टेण्ड, नोखा रोड़, बीकानेर।
6. श्रीमती सुशीला पत्नी सम्पतलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. सुमेरमल पुत्र चांदमल जाति दफ्तरी निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर।
8. रतनलाल पुत्र चांदमल जाति दफ्तरी निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर।
9. रामलाल पुत्र चांदमल जाति दफ्तरी निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर।
10. राजेन्द्र पुत्र चांदमल जाति दफ्तरी निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।
12. उप पंजीयक, बीकानेर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

## अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बीकानेर
## दिनांक 21—02—2012

उपस्थितः—

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4
3. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 10
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

### —निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21—02—2012 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा एक वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय चिर निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट/वादी द्वारा कथन किया गया था कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 592/207 की 39 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर बने है, उक्त भूमि अपीलांटान् के दादा भैरा वल्द सद्दु उर्फ सद्दा के नाम रही है। भैरा के पॉच वारिसान क्रमशः मुन्नीलाल, सोहनलाल, श्रीनाथराम, सूरजमल व श्रीराम हुए। मुन्नीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। मुन्नीलाल के दो पत्नी सुवटी व मीरा थी। सोहनलाल के पुत्र अमोलकचन्द, चम्पालाल, अक्खेचन्द, मगाराम व अन्नी हुए। अमोलकचन्द का स्वर्गवास हो चुका

है। उनक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 16 हुए। इसी प्रकार श्रीराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके वारिसान में कानीराम, रामेश्वर, किशनलाल हुए। सूरजमल का भी स्वर्गवास होने के कारण उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 19 से 24 हुए।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि अपीलांटान् के दादा भैरा के नाम मिसल बन्दोबस्ती 2008 में दर्ज रहा है जो कि संवत् 2012 तक चला। उसके बाद भैरा का नाम संवत् 2019 तक कायम रहा। भैराराम के वारिस मुन्नीलाल ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे। मुन्नीलाल की पत्नियों ने वादगत् भूमि को एकमात्र मालिक बताकर समस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की ली। जबकि कानूनन मुन्नीलाल की पत्नियॉ सुवटी व मीरा को भैराराम की तमाम जायदाद की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं थे। जबकि तत्समय उनके अन्य वारिसान भी मौजूद थे। कानूनन मृतक भैरा के तमाम वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में आना चाहिए था। लेकिन सुवटी व मीरा ने धोखा देकर अपने नाम तमाम जायदाद करवा ली। तत्पश्चात् सुवटी व मीरा ने तमाम जायदाद का मुख्त्यारआम रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को नियुक्त कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी पत्नी संतोष के हक में दिनांक 14—01—2007 को विक्रय कर दी गई व उनका नाम भी रिकार्ड में दर्ज हो गया। उसके बाद संतोषदेवी ने उक्त विवादित भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सुशीलादेवी को दिनांक 25—01—2017 को कर दिया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सुशीलादेवी ने वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 10 को दिनांक 16—04—2007 को कर दिया गया। वादगत् भूमि के संबंध में यह तमाम विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है तथा तमाम विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही एब ईनिशियों वाईड व कानून की दृष्टि से कोई अहमियत नहीं रखते है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि पर मोहनलाल की पत्नी मीरा व सुवटी का कानूनन 1/5 हिस्सा बनता है तथा उन्हें अपने हिस्से तक की भूमि के विक्रय का ही अधिकार हासिल था लेकिन उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तमाम जायदाद का विक्रय किया गया है। जो कानूनन एबईनिशियोवाईड दस्तावेज है। अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इसी

आश्य का वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर बिना जॉच किये इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्हें कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं होने से दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जाता हैं जबकि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ना तो बार्ड बाई लॉ है ना ही क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 10 राजेन्द्र पुत्र चान्दमल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित आदेश 6 नियम 16 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था। जबकि शेष रेस्पोडेन्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा मात्र एक रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर व रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है।

अदालत मातहत के समक्ष मुख्य बिन्दु यह था कि क्या वादगत् भूमि भैरा की थी अथवा नहीं? विक्रय पत्र सही है या नहीं ये सभी तथ्य साक्ष्य पर आधारित थे। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वाद में निर्णय पारित करने स पूर्व ना तो नियमानुसार तनकी कायम की गई ना ही साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। मात्र आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, पर सरसरी तौर पर विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की दी गई। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अन्य प्रतिवादीगण को तलब ही नहीं किया गया। जबकि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित था कि वादगत् भूमि भैरा की रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन् भूमि पर सभी जायज वारिसान का बराबर हक व हिस्सा रहता है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों को तलब करते हुए सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा सुवटी व मीरा को विवादित भूमि की खातेदारी प्रदान करने से पूर्व सभी वारिसान की जॉच करनी चाहिए थी। नियमानुसार सभी जायज वारिसान को नोटिस दिया जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार द्वारा न तो वादगत् भूमि के बाबत् तमाम वारिसान की कोई जॉच की गई ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस की प्रदान किया गया। केवल मात्र मीरा व सुवटी के प्रार्थना पत्र पर गलत रूप से खातेदारी प्रदान कर दी गई। जिसके लिए अपीलांट कतई जिम्मेदार नहीं है। जबकि वादगत् भूमि के बाबत् तहसीलदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था क्योंकि वादगत् भूमि अरबन एरिया में आ चुकी थी।

ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कवर नहीं होती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सुवटी का स्वर्गवास इंतकाल संख्या 258 में दिनांक 13—03—2006 को होना बताया गया है व मीरा का स्वर्गवास इंतकाल संख्या 333 में दिनांक 13—03—2006 को होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में मृतक सुवटी व मीरा का स्वर्गवास होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने दिनांक 27—10—2006 को जरिये मुख्त्यारआम के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के हक में विक्रय पत्र करवाया जाना अपने आप में एबईनिशियों वाईड व शून्य दस्तावेज है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य साक्ष्य के द्वारा साबित होने थे लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। क्योंकि मृतक व्यक्ति के मुख्त्यारआम के आधार पर हुए तमाम विक्रय पत्र शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते है।

जहॉ तक वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में वाद प्रस्तुत करने का कथन है उक्त वाद चम्पालाल ने प्रस्तुत नहीं किया था ना ही वादपत्र में चम्पालाल के हस्ताक्षर है। उक्त वाद अदम पैरवी में खारिज किया गया था ना की वादपत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया थ। वादी व अन्नी सोहनलाल के वारिस है जिनके द्वारा किसी प्रकार कोई दावा अदालत मातहत के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत उक्त वादपत्र मात्र अदम पैरवी में खारिज किया

गया था ऐसी स्थिति में प्रकरण में रेसज्यूडिकेसा का सिद्वान्त लागू नहीं होता है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा का आदेश है। जोकि पुष्टि योग्य आदेश नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2012 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे प्रकरण में साक्ष्य एवं तनकीयात् कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1972 राज. पेज 532, आरएलडब्ल्यू 1973 राज. पेज 674, डब्ल्यूएलएन (यूसी) 1977 पेज 457, सीसीसी 1995 (2) ए.पी. पेज 94, एआईआर 2012 (एनओसी) राज. पेज 88, एआईआर 2005 राज. पेज 129, एआईआर 1993 एससी पेज 1756, सीसीसी 1996 (1) बोम्बे हाईकोर्ट पेज 473, आरएलडब्ल्यू 1990 (2) पेज 47, डीएनजे 2012 (2) राज. पेज 806, डीएनजे 2012 (3) राज. पेज 1410, डीएनजे 2012 एससी पेज 683, डीएनजे 2012 (3) राज. पेज 1407, डीएनजे 2013 (3) राज. पेज 1166, डीएनजे 2014 (1) राज. पेज 53, डीएनजे 2014 (1) राज. पेज 62, डीएनजे 2014 (4) राज. पेज 1461, डीएनजे 2017 (1) राज. पेज 136, डीएनजे 2017 (1) राज. पेज 351, सीसीसी 2017 (1) राज. पेज 552 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21—02—2012 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 10 राजेन्द्र पुत्र चांदमल द्वारा दिनांक 28—03—2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट/वादी के वादपत्र में अभिलिखित कथनों से वाद का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलांट/ वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि वादगत् भूमि ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर भूमि बाबत् एक अन्य वाद संख्या 311/2000 आशा बनाम सुवटी न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर द्वारा दिनांक 29—08—2007 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी को उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादी द्वारा ऐसा नहीं करते हुए वादगत् भूमि के बाबत् नया दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट रूप से कानूनी सिद्वान्तों के विपरीत है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा सीएलटी 1999 पार्ट II पेज 167 (171) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व अदालत मातहत के समक्ष दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत किया गया था जबकि अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व दावे से इस दावे में केवल मात्र धारा 53 आरटीए को जोड़ा गया है। जबकि दावा वास्तव में धोषणा का ही है। अपीलांट/वादी द्वारा अपनी अपील के पैरा संख्या 2 में अभिलिखित किया गया है कि भैरा की पुत्र वधु मीरा व सुवटी ने वादगत् भूमि के संबंध में सभी पक्षकारों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा बाला—बाला तहसीलदार से खातेदारी प्राप्त कर ली। उक्त खातेदारी कब करवाई गई, किस आदेश से करवाई गई व किससे करवाई गई इसका कोई उल्लेख अपीलांट/वादी द्वारा अपने वादपत्र में नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई आदेश है भी तो अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व चाराजोई करनी चाहिए थी ना कि उक्त तथ्य को छिपाते हुए अन्य वाद प्रस्तुत करना चाहिए था।

इस प्रकार अपीलांट/वादी द्वारा कन्सीलमेंट ऑफ फेक्ट अर्थात तथ्यों को छिपाते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अपीलांट/वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलांट/वादी के कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया कि खसरा नम्बर 592/207 तादादी 49 बीघा 5 बिस्वा भूमि से नये खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर बने है। इस संबंध में अपीलांट/वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 592/207 के नये खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर बने हो। वर्तमान में वादगत् भूमि ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर भूमि मीरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जहॉ तक वादगत् भूमि के विक्रय पत्रों को शून्य करार करने का कथन है। इस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार हासिल है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद क्षेत्राधिकार, बार्ड बाई लॉ व कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1390 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभिलिखित है किः—?

CPC Order 7 Rule 11, Sec. 151 - Dismissal of suit - Abuse of law and process of the Court - Held - Plaint can be rejected on the grounds mentioned in order 7 ru;e 11 cpc. like the suit is barred by law ro it does not disclose the casue of action or proper Court fees has not been aid even after order of the court- If the suit is abuse of process of the court and cannot be dismissed u.o 7 r 11 cpc then the court is not helpless and can dismiss the suit invoking power u/s 151 cpc.

अपीलांट/वादी द्वारा अपने वादपत्र में अभिलिखित किया है कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 592/207 तादादी 49 बीघा 5 बिस्वा जिसके

नये खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर वादीगण के पिता सोहनलाल अथवा दावा भैरा वल्द सदु के नाम दर्ज होना अंकित किया है व उक्त तथ्य ही वाद का मुख्य आधार है। इस संबंध में अपीलांट/वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वादपत्र के साथ उक्त तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करने अपरिहार्य थे। ऐसी स्थिति में बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलांट/वादी अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अपना पूर्ण विवेचन करते हुए पाया कि अपीलांट/वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वादगत् भूमि के बाबत् धोषणात्मक एवं खाता विभाजन का दावा पेश करने का कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होता है। साथ ही दावे में चाहा गया अनुतोष क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में, दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण व क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण व न्याय की परिधि के पारित किया गया निर्णय है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2010 एससी पेज 1227, एआईआर 2012 एससी पेज 913, आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1390, आरएलडब्ल्यू 1989 पार्ट II पेज 380, आरएलडब्ल्यू 2012 पार्ट II पेज 350, सीएलटी 1999 पार्ट II पेज 573, एआईआर 2015 पेज 1422, एआईआर 1965 एससी पेज 271, एआईआर 1979 एससी पेज 1682, आरआरडी 1987 पेज 491, एआईआर 1987 पेज 1577, एआईआर 2010 पटना पेज 189, एआईआर 1993 गौहाटी पेज 82, एआईआर 2012 पेज 22, एआईआर 1999 पेज 109 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 व सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का उक्त दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 592/207 की 39 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर बने है, उक्त भूमि अपीलांटान् के दादा भैरा वल्द सद्दु उर्फ सद्दा के नाम रही है। वादगत् भूमि अपीलांटान् के दादा भैरा के नाम मिसल बन्दोबस्ती 2008 में दर्ज रहा है जो कि संवत् 2012 तक चला। उसके बाद भैरा का नाम संवत् 2019 तक कायम रहा। भैरा के पॉच वारिसान मुन्नीलाल, सोहनलाल, श्रीनाथराम, सूरजमल व श्रीराम हुए। मुन्नीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। मुन्नीलाल के दो पत्नी सुवटी व मीरा थी। भैरा वल्द सदु की वंशावली निम्न प्रकार है:—

भैरा वल्द सदु उर्फ सदा

मुन्नीलाल सोहनलाल शिवनाथराम सुरजमल श्रीराम
(मृतक) (मृतक) (प्रतिवादी सं.1) (मृतक)

सुवटी मीरा अमोलख चम्पालाल अखे मघा अन्नी कानी रामेश्वर किसन
(मृतक) (मृतक) (मृतक) (वादी चन्द राम (वादी राम
सं.1) (प्र.वादी नं.2)
17 व 18)

जेठमल मोतीलाल सीताराम बाबुलाल
(प्रतिवादी 13) (प्रतिवादी 14) (प्रतिवादी 15) (प्रतिवादी 16)

मृतक सूरजमल के वारिसान(प्रतिवादी सं. 19 ता 24)

फतेहचन्द भंवरलाल मूलचन्द माणकचन्द रतनलाल (मृतक)

धनराज ललित

भैराराम के वारिस मुन्नीलाल ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे। मुन्नीलाल की पत्नियों ने वादगत् भूमि को एकमात्र मालिक बताकर समस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की ली। जबकि कानूनन मुन्नीलाल की पत्नियॉ सुवटी व मीरा को भैराराम की तमाम जायदाद की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं थे।

(3) प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त कथनानुसार एक वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 10 राजेन्द्र पुत्र चांदमल द्वारा दिनांक 28—03—2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण संख्या 10 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादगत् भूमि ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 592/207 तादादी 49 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 718 तादादी 8.43 हेक्टर भूमि भैरा वल्द सुद की एक पैतृक सम्पति रही है। कानूनन मृतक भैरा के तमाम वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में आना चाहिए था। लेकिन सुवटी व मीरा ने धोखा देकर अपने नाम तमाम जायदाद करवा ली। तत्पश्चात् सुवटी व मीरा ने तमाम जायदाद का मुख्त्यारआम रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को नियुक्त कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी पत्नी संतोष के हक में दिनांक 14—01—2007 को विक्रय कर दी गई व उनका नाम भी रिकार्ड में दर्ज हो गया। उसके बाद संतोषदेवी ने उक्त विवादित भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सुशीलादेवी को दिनांक 25—01—2017 को कर दिया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सुशीलादेवी ने वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 10 को दिनांक 16—04—2007 को कर दिया गया। वादगत् भूमि पर मोहनलाल की पत्नी मीरा व सुवटी का कानूनन 1/5 हिस्सा बनता है तथा उन्हें अपने हिस्से तक की भूमि के विक्रय का ही अधिकार हासिल था लेकिन उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तमाम जायदाद का विक्रय किया गया है।

अनाधिकार विक्रय के मामलो में यह विचारणीय प्रश्न है कि उक्त बेचान प्रारम्भतः ही शून्य है या शून्यकरणीय।

**प्रस्तुत मामलें में एक पक्षकार द्वारा अपने हिस्से से अधिक तथा अनाधिकार रूप से कपटपूर्ण तरीके से भूमि प्राप्त कर गलत रूप से खातेदारी प्राप्त कर – अन्य सह खातेदारों के जायज हकों से वंचित करते हुए विक्रय किया जाना मामलें के विवेचन, प्लीडिंग व दस्तावेजात् से स्पष्ट परीलक्षित होता है। लिहाजा उक्त विक्रय प्रारम्भ से एब ईनिशियों वाईड की श्रेणी के दस्तावेजात् है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है।**

उक्त तमाम तथ्य अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली पर मौजूद होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् शेष प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश कानून की दृष्टि से अपरिपूर्ण आदेश की परिभाषा का आदेश है।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित था कि वादगत् भूमि भैरा की रही है। **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन् भूमि पर सभी जायज वारिसान का बराबर हक व हिस्सा रहता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों को तलब करते हुए सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार वादगत् में वर्णित तथ्यों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए कायम की गई तनकियों का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।** अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। **जो पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।**

(6) जहॉ तक प्रकरण में रेस्पोडेन्ट का कथन कि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व में दावा प्रस्तुत किया जा चुका था ऐसी स्थिति में समान भूमि का व समान पक्षकार द्वारा पुनः दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में प्रस्तुत वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोसेस फीस के अभाव में खारिज किया गया था ना कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया था।

**ऐसे मामलों में जहॉ निर्णय तकनीकी आधार पर वाद को प्राथमिक स्तर पर गौण कारणों से खारिज किया गया हो – तथा वादीगण के मूल्यवान अधिकारों बाबत् पूर्ण विनिश्चय से वंचित किया गया हो – उसे तत्पश्चात् प्राक्न्याय के सिद्वान्त द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में उस विनिश्चय के गुणावगुण, पक्षकार निर्णय के आधार पर पक्षकार के प्रति अन्याय की मंशा भी विचारणीय पहलू है।**

अदालत मातहत के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वादपत्र में अपीलांट पक्षकार भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का कथन कि वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में प्रस्तुत वाद में पारित निर्णय के विरूद्व चाराजोई करनी चाहिए थी स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते। लिहाजा रेस्पोडेन्ट का कथन कि अपीलांट/वादी का वाद रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर एआईआर 1993 पेज 1756 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। जिसमें अभिलिखित है किः–

**Civil Procedure Code, 1908 S. 11 O. 2 R. 2(3) - Applicability- Earlier suit for injunction dismissed on technical ground - Subsequent suit for declaration of title and recovery of possession not**

**bared by res - judicata - Not barred under O 2. R. 2(3) since causes of action in both suit were distinct.** मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि क्या वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है अथवा नही? क्या वादगत् भूमि के बाबत् भैरा वल्द सदु के जायज वारिसान का कोई हक व हिस्सा बनता है अथवा नहीं? वादगत् भूमि मुन्नीलाल की पत्नी मीरा व सुवटी को किस आधार पर प्राप्त हुई। तहसीलदार को वादगत् भूमि को मीरा व सुवटी के नाम खातेदारी प्रदान करने के अधिकार हासिल थे अथवा नहीं? इन तमाम तथ्यों की जॉच किये बिना अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 10 राजेन्द्र पुत्र चांदमल के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 1990 पार्ट II जिसमें अभिलिखित है कि:–

**CPC Order 7 Rule 11 - Question of rejection of Plaint - Court is required to consider the averments made in the plaint and look into the documents filed with the plaint by plaintiff - Documents filed by defendants can not be looked into for this purpose.** मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(8) प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र एक रेस्पोडेन्ट संख्या 10 राजेन्द्र पुत्र चांदमल के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करने पर आनन–फानन में अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बिना तनकीयात् कायम किये व अन्य पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल

खारिज आदेश है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर डीएनजे 2014 पार्ट I राज. पेज 62 मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। उक्त नजीर में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है किः–

**Civil Procedure Code, 1908 O. 7 Rule 11 Sec. 151 - Rejection of Plaint - Application rejected - Trial Court has rightly held that plaint cannot be rejected on the ground mentioned in clauses (a) and (d) of O. 7 Rule 11 - Trial Court is directed to frame the issues and decide the issues as preliminary issues.**

(9) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि वादगत् भूमि के बाबत् तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्व चाराजोई करनी चाहिए थी। जबकि अपीलांट का वादपत्र में कथन है कि मीरा व सुवटी ने उक्त आदेश पारित करते समय अन्य पक्षकारों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया हैं अदालत मातहत को चाहिए था कि वे इस तथ्य की भलीं भांति जॉच करते कि क्या वादगत् भूमि के बाबत् मीरा व सुवटी ने खातेदारी अधिकार हासिल करने से पूर्व सभी जायज वारिसान को पक्षकार बनाया गया है अथवा नहीं?

अदालत मातहत द्वारा मात्र यह कथन करते हुए कि उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी थी, त्रूटिपूर्ण विचार व निष्कर्ष के वसीभूत व मामलें सम्पूर्ण पहलू व मौलिक तथ्यों को ध्यान में लिये बिना व मामलें की जड़ में जाने से बचने की नियत मात्र से किया गया कृत्य है। जिसका अनुचित लाभ प्रतिवादीगण को मिलता प्रतीत होता है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(10) प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रकरण की गर्भ में जाकर यह देखा जाना चाहिए था कि **क्या वादगत् भूमि वास्तव में भैरा वल्द सदा के नाम दर्ज भूमि थी तथा भैरा वल्द सदा के**



जायज वारिसान का वादगत् भूमि पर कितना–कितना हक व हिस्सा बनता है। वादगत् भूमि तहसीलदार द्वारा किस आधार पर मुन्ना उर्फ

**मुन्नीलाल की पत्नी मीरा व सुवटी के नाम दर्ज की गई है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के संबंधित तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलांट/वादी का वादपत्र क्षेत्राधिकार से बाहर, कॉज ऑफ एक्शन व दावा बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज किया गया है।**

इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य का खुलासा अथवा विस्तृत विवेचन नहीं किया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र किस आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर है, अपीलांट/वादी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है अथवा दावा बार्ड बाई लॉ है। केवल मात्र यह लिखने से की अपीलांट/वादी का वादपत्र क्षेत्राधिकार से बाहर है, अपीलांट/वादी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है अथवा दावा बार्ड बाई लॉ है अधिनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर दिनांक 21–02–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व प्रकरण में साक्ष्य एवं तनकीयात् कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इसी के साथ अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रकरण का निस्तारण आगामी दो माह में करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षकारों को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 29–06–2017 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें।

10. निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर